रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0

आवेदन पत्र के सम्बन्ध मे जाच की गई। जिसके अनुसार

श्रीमान जी प्रस्तुत आवेदन पत्र व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड पहचान पत्र, पूरे परिवार सहित [illegible] आधार पर नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। कमलेश की [illegible] किया जाना उचित होगा।

सत्यापित सही है

29-10-21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नही है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नही की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–. आदेश :–

दिनांक :– 29-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

| क्र.स. | ग्राम | जमाबन्दी सम्वत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2075-78 | 277,278 247 | कमलेश पुत्री रामजीलाल | शमीला पुत्री रामजीलाल |

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

सरपंच

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :–

क्रमांक :– राजस्व / 2020 / 576-577

प्रतिलिपि –

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते [illegible] हेतु।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ..... को [illegible]।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 11:54:20 IST
Reason: SelfAttested